पत्रांक--7 / औषधि--07 -01 / 2012- 66(4)@

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सचिव सह उप औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रक प्रशासन, बिहार, पटना
सबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक 18-12-12

विषय. मद संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष--2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-- 06 लोक स्वास्थ्य-104--औषध नियंत्रण--0001 औषध नियंत्रण स्थापना वित्त कोड N2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012--2013 में विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों, वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल ₹93,65,455/--(तिरानवे लाख पैंसठ हजार चार सौ पचपन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित **शीर्ष / उपशीर्ष /** वित्त कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या 9(7)ब दिनांक- 20.04.12 30(7)ब दिनांक--27.06.12, 49(7)ब दिनांक- 8.10.12 62(7)ब दिनांक 21.11.12 एवं मांग पत्र के क्रम में संलग्न टिप्पणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-2013 में विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों, वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल--₹93,65,455/ (तिरानवे लाख पैंसठ हजार चार सौ पचपन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

3 सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.96 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक--8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक- 3388वि0(2), दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06--लोक स्वास्थ्य-104--औषध नियंत्रण--0001 औषध नियंत्रण स्थापना वित्त कोड N2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में आहरण अायोजना मिला में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

4 उपरोक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अतिरिक्त सह उप औषधि नियंत्रक औषधि नियंत्रण प्रशासन बिहार, पटना तथा सम्बंधित सिविल सर्जन होंगे तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिलादेश, प्रमुख स्वास्थ्य सेवा, बिहार, पटना होंगे ।

5 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी को ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6 कई पदाधिकारियों / कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों / कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे स्वयं एक के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाय वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में वे पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से वाहन वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. क्रय संबंधी वर्तमान स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 96(9) दिनांक 18.02.99, 142(9) दिनांक 15.03.2001, 241(9) दिनांक 21.05.2002, 379) दिनांक 16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा ।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

9. राशि का विचलन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।

10. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाए । व्यय हेतु वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से दिनांक प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 66 (7) 07 पटना, दिनांक 18-12-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ / राज्य इलेक्ट्रॉनिक / प्रशासी पदाधिकारी-7 / कार्यवाह सहायक / आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06 लोक स्वास्थ्य 104- औषध नियंत्रण 0001 औषध नियंत्रण स्थापना विषय कोड N 22100610400001 वित्तीय वर्ष 2012-2013 में आवंटित।

आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13-01)	वर्दी / पोषाक (13-06)	दवा भंडार (21-02)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	औषध नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना के कार्यालय के लिए आवंटन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	90/5 10 12
2	सिविल सर्जन, पटना	1300000	871000	195000	8000	13000	6500	2393500	0	0	0	2393500	8282/22 9 12
3	सिविल सर्जन, गोपालगंज	220000	147400	33000	0	2200	1100	403700	0	2500	0	406200	2403/3-9-12
4	सिविल सर्जन, औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	10000	2000	0	12000	3705/16 10 12
5	सिविल सर्जन, पूर्णिया	80000	53600	12000	0	800	400	146800	10000	5000	0	161800	3143/14 8 12
6	सिविल सर्जन, समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500	2768/28 11 12
7	सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर	1100000	737000	165000	0	1100	5500	2008600	10000	0	0	2018600	3940/12 11 12
8	सिविल सर्जन, रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	0	4500	2194/27 11 12
9	सिविल सर्जन, सीतामढी	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	10000	2705/4 9 12
10	सिविल सर्जन, भागलपुर	1700000	1139000	255000	0	13600	8500	3116100	10000	5000	0	3131100	3297/26 9 12
11	सिविल सर्जन, बाँका	55000	36850	8250	0	550	275	100925	0	0	0	100925	3185/7 9 12
12	सिविल सर्जन, मधेपुरा	70000	46900	10500	0	700	350	128450	0	0	0	128450	1308/1 11 12
13	सिविल सर्जन, बक्सर	70000	46900	10500	0	700	350	128450	3000	0	0	131450	2214/17 11 12
14	सिविल सर्जन, जमुई	400000	268000	60000	0	4000	2000	734000	0	0	0	734000	1797/29 9 12
15	सिविल सर्जन, जहानाबाद	58000	38860	8700	0	580	290	106430	0	0	0	106430	2212/8 11 12
	कुल योग	5053000	3385510	757950	8000	37230	25265	9266955	53000	20500	25000	9365455	

(तिरानवे लाख पैंसठ हजार चार सौ पचपन रु0) मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

66(7)9
18-12-12

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईया	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (01 01)	56856000	46431000	5053000	51484000	5372000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	38093000	31107830	3385510	34493340	3599660
3	मकान किराया भत्ता (01 04)	8528000	6964650	757950	7722600	805400
4	परिवहन भत्ता (01–05)	127000	14000	8000	22000	105000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	509000	464290	37230	501520	7480
6	अन्य भत्ते (01 - 07)	282000	233445	25265	258710	23290
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**104395000**	**85215215**	**9266955**	**94482170**	**9912830**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	0	0	1000000
8	यात्रा व्यय (11–01)	612000	306000	0	306000	306000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	550000	278000	53000	331000	219000
10	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13 -02)	100000	100000	0	100000	0
11	दूरभाष (13 -03)	20000	10000	0	10000	10000
12	विधि प्रभार (13 -05)	1000000	440000	0	440000	560000
13	वर्दी / गणवेशक (13 06)	50000	25300	20500	45800	4200
14	प्रशिक्षण व्यय (20–03)	808000	808000	0	808000	0
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21 –01)	200000	102000	0	102000	98000
16	दवा भंडार (21–02)	50000	25000	25000	50000	0
17	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (25 01)	100000	50000	0	50000	50000
18	मशीने एवं उपस्कर (52 01)	300000	125500	0	125500	174500
	कुल योग	**109185000**	**87485015**	**9365455**	**96850470**	**12334530**

66(7)(4)
18-12-12

राजस्थान सरकार के संयुक्त सचिव